निर्वाचन/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या 3002 /XII/2013/86(17)/2013

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   पंचायतीराज,
   उत्तराखण्ड देहरादून।
2. **समस्त जिलाधिकारी (जनपद–हरिद्वार को छोड़कर)**
   उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग देहरादूनः दिनांक 16 नवम्बर,2013

विषयः– **उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष अन्य जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2008 में हुए थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इन पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2013 में निर्धारित हैं। वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों में पदों तथा स्थानों का आरक्षण संविधान एवं अधिनियमों में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

2. सर्वप्रथम पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D में दी गई व्यवस्था के अधीन तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 11–क, धारा 12 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6–क, 7–क एवं धारा 18–क तथा 19–क तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपांतरित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही नियमान्तर्गत शासन स्तर से यथासमय की जायेगी। प्रत्येक जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा खण्डवार ग्राम पंचायतों के प्रधान पदो के आरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। इससे पूर्व जिलावार प्रमुखों के तथा खण्डवार प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः शासन स्तर तथा निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अवधारित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदवार प्रमुख पदों की अवधारित संख्या का विवरण संलग्न है।

4. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों हेतु जिला पंचायतों के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का अवधारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D (4) के परन्तुक के अधेन निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जाएगा। अवधारित होने वाले पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

6:20 PM11/14/2013RAJU BONAL NEW FILE 2012DATE 20-06-2012 TIME 6:20 PM

(क) जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु अवधारित पद–

राज्य में सम्बन्धित जाति की जनसंख्या
——————————— X कुल अध्यक्ष पदों की संख्या = राज्य में जाति विशेष हेतु आरक्षित पद(अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होंगे)
राज्य की कुल जनसंख्या

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यक्ष पदों** का आरक्षण
291903
----------X 13= 0.38= 0
10086292

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जाति हेतु अध्यक्ष पदों** का आरक्षण
1892516
----------X 13= 2.44= 02 01 महिला 01 अनारक्षित
10086292

सूत्र के अनुसार **अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अध्यक्ष पदों** का आरक्षण
1612289
----------X 13= 2.08 = 02 01 महिला (अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होने के कारण 01 पद अवधारित)
10086292

(ख) प्रमुख पद हेतु अवधारित पद–

राज्य में सम्बन्धित जाति की जनसंख्या
———————————X कुल क्षेत्र पंचायतो की संख्या = राज्य में जाति विशेष हेतु आरक्षित पद (अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होंगे)
राज्य की कुल जनसंख्या

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमुख पदों** का आरक्षण

291903
----------X 95= 2.74=3 02 महिला 01 अनारक्षित
10086292

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जाति हेतु प्रमुख पदों** का आरक्षण

1892516
----------X 95= 17.82=18 09 महिला 09 अनारक्षित
10086292

नोटः– राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति हेतु कुल 18 पद अवधारित होते हैं किन्तु जनपद को इकाई मानते हुए सूत्र के अनुसार वितरण करने पर कुल 21 पद वितरित हो रहे हैं, जिसमें से 12 पद महिलाओ को आवंटित किये जाने है।

सूत्र के अनुसार **अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमुख पदों** का आरक्षण

1612289
----------X 95 = 15.19=15 किन्तु 14 प्रतिशत तक सीमित करने पर अवधारित पद 13
10086292

नोट– राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर 15.19 अर्थात 15 पद अवधारित हो रहे हैं, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत तक सीमित करने पर 13 पद अवधारित होते हैं। किन्तु सूत्र के अनुसार जनपदों में वितरण के पश्चात कुल 10 पद ही वितरित हो पा रहे हैं, इसलिए 03 पदों को वितरित न करने हेतु छूट प्रदान की जाती है। उक्त 10 पदों में से 03 पद पूर्व में ही जनपद हरिद्वार को आवंटित हैं, जिसमें से 02 पद महिला के लिए आवंटित हैं।

(ग) प्रधान पद हेतु अवधारित पद

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जनजाति हेतु प्रधान पदों** का आरक्षण

291903
----------X 7705= 222.98=223
10086292

नोटः– सूत्र के अनुसार संवैद्यानिक व्यवस्था के आधार पर अनुपातिक जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु 221 पद ही वितरित होते हैं, किन्तु आरक्षण नियमावली, 1994 के प्राविधानों के अनुसार 02 पद पुनर्वितरित किए गए हैं।

सूत्र के अनुसार **अनुसूवित जाति हेतु प्रधान पदों** का आरक्षण

1892516
----------X 7705= 1445.70=1446
10086292

नोटः– विकास खण्डों में अनुसूचित जाति की जनंसख्या प्रतिशत के सापेक्ष 1708 पद वितरित किये गये हैं।

सूत्र के अनुसार **अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रधान पदों** का आरक्षण

1612289
----------X 7705= 1231.65=1231 14 प्रतिशत तक सीमित करने पर अवधारित पद 1078
10086292

नोट– नियमावली के अनुसार खण्ड में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का खण्ड में कुल जनसंख्या से अनुपात के अनुसार वितरण करने पर कुल 840 पद वितरित हो रहे हैं, जिन्हें अन्यत्र पुनर्वितरित करना सम्भव न हो पाने के कारण 238 पदों की छूट प्रदान की जाती है।

5. ग्राम पंचायतो मे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा–11 क की उप धारा–2 और 4 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निकाली जायेगी कि यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जोन वाले प्रधान पदो की संख्या निर्धारित हो जायेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित प्रधान पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए उपरोक्त नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि महिलाओ के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या आरक्षित वर्ग की महिलाओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए कुल प्रधान पदों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी। श्रेणीवार आरक्षण की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओ का आरक्षण कुल पदों अथवा स्थानो मे किसी भी दशा में आधे से कम न हो।

6. इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निकाली गयी प्रधान पदों की संख्या ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए खण्ड (क्षेत्र पंचायत) को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि खण्ड में ग्राम पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, व पिछड़े वर्ग के प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात खण्ड में प्रधान पदों की संख्या का अनुपात खण्ड में प्रधान पदों की संख्या में यथासाध्य वही होगा जो खण्ड में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का अनुपात खण्ड में कुल जनसंख्या के साथ होगा।

7. सर्वप्रथम प्रत्येक विकासखण्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पद निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जाए :–

$$\text{अनुसूचित जनजाति के प्रधान पदो की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदो की संख्या}$$

आगणित प्रधान पदो की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर 3 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आयी कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकासखण्डो में पुर्नवितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पद निम्नलिखत सूत्र से आगणित किये जाए:–

$$\text{अनुसूचित जाति के प्रधान पदो की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदो की संख्या}$$

उपरोक्तानुसार आगणित प्रधान पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर–3 में दी गयी प्रक्रिया अनुसार अवधारित पदों की संख्या में आयी कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकास खण्डो में पुर्नवितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

6:20 PM11/14/2013RAJU BONAL NEW FILE 2012DATE 20-06-2012 TIME 6:20 PM

8. इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदो का आगणन सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूले से किया जायेगा:–

$$\text{पिछडा वर्ग के प्रधान पदो की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में पिछडा वर्ग की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदो की संख्या}$$

9. निम्नलिखित क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियो और पिछडे वर्ग के लिए प्रधानो के पदों की संख्या उस खण्ड में भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र की कुल जनसख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातिशें की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उसको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायतें जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछडे वर्ग को जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी। पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार की जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों के आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों को आंवटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को और पिछडे वर्ग के आवंटित ग्राम पंचायत पिछडे वर्गो को आवंटित नहीं की जायेगी।

आवंटन का क्रम निम्नवत् होगा :–

(क) अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ
(ग) अनुसूचित जाति की महिलाएं
(घ) अनुसूचित जातियाँ
(ड.) अन्य पिछडा वर्ग की महिलाएं
(च) अन्य पिछडा वर्ग और
(छ) महिलाएं

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्ग की जनसंख्या पंचायत क्षेत्र में दो से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछडे वर्गो को आवंटित नही किया जायेगा।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछडे वर्गो को आवंटित ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदो की आधे से अन्यून ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पद यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछडा वर्गो की महिलाओं को आवंटित किये जायेगे।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष ग्राम पंचायतों से ग्राम पंचायतों के प्रधानो के पदो को महिलाऐ इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जायेगे, किन्तु इस प्रकार की जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गो की जनसंख्या सम्मिलित नही है उनको आवंटित किया जायेगा, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार के जहाँ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित ग्राम पंचायतें महिलाओं को आवंटित नही की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत प्रधानों के लिए वर्ष 2013 के सामान्य निर्वाचन में आरक्षण का तीसरा चक्र लागू होगा।

10. क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदो की संख्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–7–क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि यदि शेष भाजक के आधे से कम न तो भागफल में एक बढाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे के कम हो तो उसे छोड दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखो के पदो की संख्या निर्धारित हो जायेगी।

11. इस प्रकार निकाली गयी प्रमुख पदो की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए जिले को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि क्षेत्र पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछडे वर्ग के प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात जिले में प्रमुख पदो की संख्या में यथा साध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछडे वर्ग की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या में अनुपात हो।

12. सर्व प्रथम प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदो का निम्नलिखत सूत्र से आगणन किया जायेगा :–

अनुसूचित जनजाति के प्रमुख पदो की संख्या = जनपद में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या / जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या X जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर–10 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदो की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

13. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखत सूत्र से आगणित किया जायेगाः–

अनुसूचित जाति के प्रमुख पदो की संख्या = जनपद में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या / जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या X जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या व राज्य स्तर पर प्रस्तर– 10 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदो की संख्या में आयी कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

14. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखत सूत्र से आगणित किया जायेगा :–

पिछड़े वर्ग के प्रमुख पदो की संख्या = जनपद में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या / जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या X जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या

15. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को, पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या का पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या मे अनुपात के आधार पर, अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी, अर्थात उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगा, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहॉ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित

6:20 PM11/14/2013RAJU BONAL NEW FILE 2012DATE 20-06-2012 TIME 6:20 PM

जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नही की जायेगी और अनुसूचित जाति को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जाति को आवंटित नही की जायेगी और पिछडे वर्गो को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछडे वर्गो को आवंटित नही की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछडे वर्गो के आवंटित क्षेत्र पंचायतों की आधे से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के पदों को महिलाओं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएं किन्तु इस प्रकार जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियें, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटिन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित क्षेत्र पंचायतें, महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेगी। जनपदवार प्रमुख पदों के वितरण में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल प्रमुख पदों में महिलाओं को आधे से अन्यून पद अवश्य आरक्षित हों।

16. उक्त में यथा उपबन्धित अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जिला पंचायतों में अध्यक्षों की संख्या राज्य में भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगो, अर्थात राज्य में जिला पंचायतों में से वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पचांयत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पचांयतों की आधे से अन्यून जिला पंचायतें यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष जिला पंचायतों में से जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों को महिलाओं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएं, किन्तु इस प्रकार कि जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनंसख्या सम्मिलित नहीं है, वे उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित जिला पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेगी। इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के वर्ष 2013 के सामान्य निर्वाचन में आरक्षण के लिए चौथा चक्र लागू होगा।

16. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पचांयतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 12 की उपधारा 5 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6–क तथा 18–क के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार निकाली जायेगी जिस प्रकार उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित हो जायेगी।

18. यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछडे वर्गो की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित नही की जा सकती है तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में यथा स्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछडे वर्गो के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

19. यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर कोई स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए या पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित नही किया जा सकता है तो उपरोक्त बिन्दु संख्या 9 में उल्लिखित क्रम का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानो इसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का या अनुसूचित जातियों का या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश नहीं था।

20. विभिन्न पंचायतों में स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया–ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण हेतु जनपद स्तर पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निश्चित नहीं की जा सकती है, वहाँ उत्तराखण्ड पंचायतीराज स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली,1994 के नियम–4 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के परिवारों (श्रेणीवार) के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर ली जायेगी। अलग–अलग श्रेणियों के लिए स्थानों का निर्धारण हेतु निम्न फार्मूला हैः–

$$\frac{\text{सम्बन्धित आरक्षित जाति की जनसंख्या}}{\text{पंचायत की कुल जनसंख्या}} \times \text{प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या} = \text{पंचायत में आरक्षित स्थानों की संख्या}$$

इस प्रकार निकाले जाने पर पंचायत की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े के स्थान पर आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक श्रेणी में आधे से अन्यून स्थान उस श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित होंगे। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए चार पद आरक्षित होते हैं तो दो स्थान अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होंगे। यही प्रक्रिया अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के आरक्षण हेतु भी अपनाई जायेगी, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षिण 14 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जो पद/स्थान जिस जाति के लिए आरक्षित थे वे उस जाति के लिए यथा सम्भव आरक्षित नहीं किये जायेंगे जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला हेतु जो स्थान वर्ष 2008 के सामान्य निर्वाचन में आरक्षित किया गया था वह स्थान वर्ष 2013 के सामान्य निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला हेतु यथा सम्भव आरक्षित नहीं होगा। **यही प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में लागू होगी।**

21. उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों और प्रधान, प्रमुख पदों तथा सदस्यों के आरक्षण का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा तथा निम्न समय सारणी के अनुसार आपत्तियाँ प्राप्त कर तथा उसका निस्तारण कर आरक्षण के अंतिम प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध करायेंगेः–

1. अनन्तिम आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन	20 नवम्बर, 2013
2. आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त करना	21 नवम्बर से 23 नवम्बर, 2013
3. जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण	25 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2013 तक
4. आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन	28 नवम्बर, 2013
5 आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने की तिथि	30 नवम्बर, 2013
6. निदेशालय द्वारा शासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराना	02 दिसम्बर, 2013

6:20 PM11/14/2013RAJU BONAL NEW FILE 2012DATE 20-06-2012 TIME 6:20 PM

22. कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो (चाहे पूर्व में उसकी कोई आपत्ति हो अथवा नहीं) प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि में प्रस्तावित आरक्षण के विरूद्ध आपत्तियाँ खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्तियाँ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर प्रत्येक आपत्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण उसी तिथि को किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि आपत्तिकर्त्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर, जब तक वह आवश्यक न समझे, प्रदान करें और आरक्षित स्थानों और पदों को अंतिम रूप देते हुए आरक्षित स्थानों और पदों की सूची का जनसाधारण की सूचना हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत, तहसील, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट पर प्रकाशन किया जायेगा और सूचना प्रपत्र 1, 2, 3 तथा 4 पर प्रत्येक दशा में दिनांक 30–11–2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 3002 /XII/2013/86(17)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. आयुक्त, राज्य निर्वाचन, आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव,मा० पंचायतीराज मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार छोड़कर)।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार छोड़कर)।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड।(जनपद–हरिद्वार को छोडकर)
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार छोड़कर)।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

15/11/13

(सी०एस० नपलच्याल)
अपर सचिव

वर्ष 2013 के सामान्य निर्वाचन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदो के आरक्षण का विवरण

जपपद का नाम	विकास खण्डो की संख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या					प्रमुख पद के के लिए विकास खण्डवार आरक्षण 2013									
							अनुसूचित जन जाति के लिए अवधारित		अनुसूचित जाति के लिए अवधारित पद		अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अवधारित		महिला	अन्य	कुल महिलायें	कुल योग
		अनु0 जनजाति की जनसख्या	अनु0 जाति की जनसंख्या	अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या	अनु0जन जाति, अनु0जा0, अन्य पिछडा की जनसंख्या को छोडकर शेष जनसंख्या	कुलयोग	कुल पद	कुल में महिला	कुल पद	कुल में महिला	कुल पद	कुल में महिला				
उत्तरकाशी	6	3258	73453	98264	116709	291684	0	0	1	1	2	1	1	2	3	6
टिहरी गढवाल	9	660	94481	62815	407521	565477	0	0	1	1	1	0	4	3	5	9
पौडी गढवाल	15	1928	109282	11532	465073	587815	0	0	3	2	0	0	6	6	8	15
रूद्रप्रयाग	3	255	44604	7732	170556	223147	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3
चमोली	9	8973	65073	10153	235543	319742	0	0	2	1	0	0	4	3	5	9
देहरादून	6	104338	130145	216510	437641	888634	1	1	1	1	1	1	0	3	3	6
हरिद्वार	6	5639	343163	728279	264429	1341510	0	0	2	1	3	2	0	1	3	6
ऊधमसिंह नगर	7	118718	168041	353724	423154	1063637	1	1	1	0	2	1	1	2	3	7
नैनीताल	8	5653	122014	32522	408546	568735	0	0	2	1	0	0	3	3	4	8
अल्मोडा	11	858	141452	18452	403782	564544	0	0	3	2	0	0	4	4	6	11
चम्पावत	4	1133	42981	12400	169468	225982	0	0	1	1	0	0	1	2	2	4
बागेश्वर	3	1776	68312	12988	162378	245454	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3
पिथौरागढ़	8	15882	107281	46918	236119	406200	1	0	2	1	1	0	3	1	4	8
कुलयोग	**95**	**269071**	**1510282**	**1612289**	**3900919**	**7292561**	**3**	**2**	**21**	**12**	**10**	**5**	**29**	**32**	**48**	**95**